

कार्यालय प्रधानाचार्यः जी० एस० वी० एम० मेडिकल कालेज, कानपुर।

पत्र संख्या-352/ई०सी०-1/ए०डी०/2024

दिनांक-17/12/2024

सूचना :-

सासन के पत्र संख्या-148/71-1-24/71-1001/804/2020 दिनांक 14 जून 2024 द्वारा राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में रिक्त चिकित्सा शिक्षकों के पदों को संविदा के आधार पर वाक-इन-इन्टरव्यू माध्यम से चयन के मामलों में नियुक्ति/तैनाती व अर्थव्ययों को तत्काल कार्यभार ग्रहण कराये जाने हेतु सेवायोजन विज्ञापित संख्या-182/ए०डी०/2024 दिनांक 29-06-2024 के सन्दर्भ में राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर में विभिन्न विभागों/द्रामा सेंटर के अन्तर्गत संविदा के आधार पर आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के रिक्त पदों पर सेवायोजन हेतु विज्ञापित की गयी है, जिसके आधार पर रोजी के उपचार/ए०एम०सी० (ए०पी०आई०) मानकों की पूर्ति हेतु इस चिकित्सा महाविद्यालय/सुपर स्पेशियलिटी इन्स्टीट्यूट (पी०एम०एस०एस०आई०) रिक्त आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु इन पदों पर चयन वाक-इन-इन्टरव्यू (walk-in-interview) पद्धति से सासन द्वारा नियुक्त चयन समिति के माध्यम से किया जायेगा। इच्छुक अर्थव्ययों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सहाकार्य हेतु अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ विज्ञापित जारी होने के पर्याप्त माह के अन्दर दिनांक 20-12-2024 को परीक्षा हॉल-3, मेडिकल कालेज, कानपुर में प्रातः 10:00 बजे से सायं-04:00 बजे के मध्य उपस्थित हों। अर्थव्ययों को यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि वह सहाकार्य के दिवस अपने समस्त एक सेट बायोडाटा सहित भी लायेंगे। चिकित्सा शिक्षकों के पदों की रिक्तियों एवं नियुक्ति की शर्तें जी०एस०वी०एम० मेडिकल कालेज, कानपुर के वेबसाइट www.gsvmmmedicalcollege.com पर उपलब्ध हैं। पदों की संख्या घट बढ सकती है।

क्र. सं.	विशिष्टता का नाम	संविदा चिकित्सा शिक्षकों की रिक्त पदों की संख्या								
		आचार्य	आरक्षित श्रेणी	रोस्टर क्रमांक	सह आचार्य	आरक्षित श्रेणी	रोस्टर क्रमांक	सहायक आचार्य	आरक्षित श्रेणी	रोस्टर क्रमांक
1	अर्थोपेडिक्स	1	अनारक्षित	(4)	1	ओ०बी०सी० अनारक्षित	(57)	1	ओ०बी०सी०	(9)
2	आथलमोलॉजी	0	0	0	1	एस०सी०	(58)	1	एस०सी०	(8)
3	आक्सट्रेटिक्स एण्ड गायनोकलाजी	0	0	0	1	ई०डब्ल्यू०एस०	(59)	0	0	0
4	इम्प्युनो हिमेटोलॉजी एण्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन	1	अनारक्षित	(54)	1	अनारक्षित	(64)	1	ओ०बी०सी०	(85)
5	इमरजेन्सी मेडिसिन	1	ओ०बी०सी०	(55)	1	ओ०बी०सी०	(65)	0	0	0
6	एन्डोक्रायनोलॉजी (पीएमएसएसआई)	1	अनारक्षित	(38)	1	अनारक्षित ओ०बी०सी०	(66) (67)	1	ई०डब्ल्यू०एस०	(110)
7	एनाटमी	0	0	0	0	0	(37)	1	अनारक्षित	(111)
								1	अनारक्षित	(112)
								1	एस०सी०	(59)
								1	ओ०बी०सी०	(38)
								1	ई०डब्ल्यू०एस०	(40)
								1	ओ०बी०सी०	(51)
								1	अनारक्षित	(78)
								1	अनारक्षित	(88)
								1	ओ०बी०सी०	(87)
8	एनेस्थीसिया	0	0	0	1	अनारक्षित	(6)	1	ई०डब्ल्यू०एस०	(10)
					1	अनारक्षित	(38)	1	एस०सी०	(11)
					1	अनारक्षित	(68)	1	एस०सी०	(14)
					1	एस०सी०	(69)	1	एस०सी०	(15)
					1	ई०डब्ल्यू०एस०	(70)	1	एस०सी०	(115)
					1	ओ०बी०सी०	(71)	1	एस०सी०	(115)
					1	अनारक्षित	(72)	1	ओ०बी०सी०	(119)
9	आई०सी०यू०एनेस्थीसियोलॉजी (पीएमएसएसआई)	1	ओ०बी०सी०	(39)	1	अनारक्षित	(38)	1	ओ०बी०सी०	(61)
10	ओटो लैरिंगोलॉजी(ई०एन०टी०)	1	ओ०बी०सी०	(57)	1	ओ०बी०सी०	(38)	1	ओ०बी०सी०	(61)
11	कम्युनिटी मेडिसिन	0	0	0	1	ई०डब्ल्यू०एस०	(40)	1	ई०डब्ल्यू०एस०	(50)
					1	अनारक्षित	(12)	1	ओ०बी०सी०	(19)
								1	ओ०बी०सी०	(81)
								1	एस०सी०	(121)
								1	अनारक्षित	(122)
								1	एस०सी०	(158)
								1	ई०डब्ल्यू०एस०	(160)
								1	अनारक्षित	(172)
12	किटिकल केयर आई०सी०यू० (पीएमएसएसआई)	1	ई०डब्ल्यू०एस०	(40)	1	एस०सी०	(41)	0	0	0
13	जनरल मेडिसिन	0	0	0	1	ओ०बी०सी०	(75)	1	ई०डब्ल्यू०एस०	(20)
					1	अनारक्षित	(76)	1	एस०टी०	(47)
					1	ओ०बी०सी०	(77)	1	एस०सी०	(53)
					1	अनारक्षित	(78)	1	अनारक्षित	(54)
					1	एस०सी०	(79)	1	ओ०बी०सी०	(55)
					1	ई०डब्ल्यू०एस०	(80)	1	एस०सी०	(53)
					1	ओ०बी०सी०	(81)	1	अनारक्षित	(64)
					1	अनारक्षित	(104)	1	ओ०बी०सी०	(123)
					1	एस०सी०	(105)	1	अनारक्षित	(124)
					1	एस०सी०	(31)	1	एस०सी०	(125)
					1	गैस्टोलॉजी		1	अनारक्षित	(126)
								1	ओ०बी०सी०	(127)
14	जनरल सर्जरी	0	0	0	1	ओ०बी०सी०	(85)	1	एस०सी०	(21)
					1	अनारक्षित	(86)	1	1(द्रामा)	(24)
					1	ओ०बी०सी०	(87)	1	ओ०बी०सी०	(65)
					1	अनारक्षित	(88)	1	एस०सी०	(99)
					1	एस०सी०	(89)	1	ई०डब्ल्यू०एस०	(100)
								1	ओ०बी०सी०	(129)
								1	ई०डब्ल्यू०एस०	(130)
								1	एस०सी०	(131)
								1	अनारक्षित	(132)
								1	ओ०बी०सी०	(165)
								1	अनारक्षित	(166)
								1	ओ०बी०सी०	(167)
								1	अनारक्षित	(168)
								1	एस०सी०	(169)
15	द्यूबर्कुलोसिस एण्ड रेंस्पैरेटरी मेडिसिन	0	0	0	1	अनारक्षित	(54)	1	अनारक्षित	(134)
					1	ई०डब्ल्यू०एस०	(90)			
					1	अनारक्षित	(106)			
16	डरमेटोलॉजी (स्कीन एण्ड वी०डी०)	1	ओ०बी०सी०	(85)	1	ओ०बी०सी०	(91)	0	0	0
17	न्यूरोलॉजी	0	0	0	0	0	(107)	0	0	0
18	न्यूरोसर्जरी	1	ओ०बी०सी०	(43)	0	0	0	0	0	0
19	न्यूरो रेडियोलॉजी (पीएमएसएसआई)	1	अनारक्षित	(42)	1	अनारक्षित	(44)	0	0	0

20	नेफोलाजी, (मेडिसिन) नेफोलाजी(पीएमएसएसवाई)	1	ओपीसीओ	(27)	0	0	0	0	0	0	0	
21	पीडियाट्रिक्स	0	0	0	1	1	एसओसीओ अनारक्षित ओपीसीओ	(93) (94) (95)	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1	एसओसीओ ईओडब्ल्यूएसओ ओपीसीओ ईओडब्ल्यूएसओ एसओसीओ ईओडब्ल्यूएसओ ओपीसीओ	(30) (70) (138) (140) (141) (170) (171)
22	पेन मेडिसिन (पीएमएसएसवाई)	1	एसओसीओ	(45)	1	1	एसओटीओ	(47)	1	1	एसओसीओ ईओडब्ल्यूएसओ	(69) (90)
23	पैथालाजी	0	0	0	0	0	0	0	1	1	एसओसीओ ईओडब्ल्यूएसओ	(89) (90)
24	फार्माकालाजी	1	एसओसीओ	(49)	1	1	एसओसीओ अनारक्षित	(25) (34)	1	1	एसओसीओ	(93)
25	फिजिकल एण्ड मेडिकल रिहैबिलिटेशन (पीएमएसएसवाई)	0	0	0	1	1	अनारक्षित	(48)	0	0	0	0
26	फिजियोलॉजी	0	0	0	0	0	0	0	1	1	अनारक्षित अनारक्षित एसओसीओ	(46) (94) (145)
27	फोरेन्सिक मेडिसिन	1	अनारक्षित	(52)	0	0	0	0	1	1	अनारक्षित अनारक्षित	(96) (146)
28	बायोकेमिस्ट्री	1	ओपीसीओ	(51)	1	1	अनारक्षित	(96)	1	1	एसओटीओ	(147)
29	माइक्रोबायोलॉजी	0	0	0	0	0	0	0	1	1	एसओटीओ अनारक्षित ईओडब्ल्यूएसओ ओपीसीओ	(97) (98) (150) (151)
30	यूरोलॉजी (पीएमएसएसवाई)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	ओपीसीओ	(75)
31	रेडियोलॉजी	1	ओपीसीओ	(37)	1	1	ईओडब्ल्यूएसओ अनारक्षित एसओसीओ ईओडब्ल्यूएसओ एसओसीओ अनारक्षित	(90) (98) (99) (100) (101) (102)	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1	ओपीसीओ अनारक्षित अनारक्षित अनारक्षित एसओसीओ अनारक्षित ओपीसीओ अनारक्षित ओपीसीओ	(37) (38) (56) (152) (153) (154) (155) (156) (157)
32	साइकियेट्री	1	अनारक्षित	(68)	1	1	ओपीसीओ	(103)	0	0	1 फिजिसिस्ट ओपीसीओ	(161)
		17			56				89		0	0

उक्त पदों पर नियमानुसार आरक्षण देय होगा संविदा पर नियुक्ति की शर्तें निम्नवत हैं:-

- संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले आचार्यों का नियत वेतन ₹2,20,000/-, सह आचार्यों का नियत वेतन ₹1,80,000/-, सहायक आचार्यों को नियत वेतन ₹1,20,000/- एवं प्रवक्ता फार्मसी पद हेतु-₹75,000/- प्रतिमाह है। इस हेतु आवेदनकर्ता को Medical Council of India, Minimum Qualification For Teachers in Medical Institutions Regulations, 2022 द्वारा निर्धारित शैक्षिक अहताएँ एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है।
- शासनादेश संख्या- 2282/71-1-2013-जी-11/2011 दिनांक 23-09-2013 द्वारा राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सेवानिवृत्त चिकित्सा शिक्षकों को संविदा पर नियुक्ति किये जाने की अधिकतम आय सीमा 70 वर्ष होगी।
- शासनादेश सं-582/71-1-2020-जी-63/2008 दिनांक 10 जून, 2020 द्वारा संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अधिकतम आय नियुक्ति वर्ष के जुलाई माह के प्रथम दिवस को सहायक आचार्य हेतु 60 वर्ष, सह आचार्य हेतु 64 वर्ष एवं आचार्य हेतु 68 वर्ष होगी।
- चयन से सम्बन्धित कालेज से उत्तीर्ण अर्थव्यर्थी तथा नये स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अर्थव्यर्थी को पूर्ववर्ती अर्थव्यर्थी पर वरीयता प्रदान की जायेगी।
- चिकित्सा शिक्षकों की शैक्षिक अहताएँ/शैक्षिक अनुभव उ० प्र० राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्येताओं की जारी सेवा नियमावली (पंचम संशोधन)-2018 एवं समय-समय पर पूर्व में निर्गत सेवा नियमावली में नियत व्यवस्था के अनुसार होगी।
- ओपीसीओ के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
- प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले शिक्षकों को प्राइवेट प्रैक्टिस से स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
- कोई भी चिकित्सा शिक्षक इस चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालयों में आये रोगियों को प्राइवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेगा।
- प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेजों में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के दृष्टिगत् हमेशा उपलब्ध रहना होगा।
- उच्चतम नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमत्य नहीं होंगे।
- संविदा पर नियुक्ति चिकित्सा शिक्षकों की सेवायें लोक सेवा आयोग से सीधी नहीं के माध्यम से चयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेंगी एवं सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी सेवा समाप्त की जा सकती है।
- ऐसे चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल एक वर्ष होगा। एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात लोक सेवा से चयनित अर्थव्यर्थी/नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी संतोषजनक सेवा के आकार पर कार्यकाल पुनः बढ़ाया जा सकेगा।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वह कार्यरत होने के 15 दिन के भीतर सम्बन्धित मेडिकल कालेज में अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा स्वतः रद्द मानी जायेगी। संविदा पर नियुक्त ऐसे चिकित्सा शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा शासन तथा महाविद्यालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को तत्काल भेजी जायेगी।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक संविदा कालावधि के लिए किसी प्राकार की पेशान सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे उक्त कालावधि के लिए कोई बोनस देय नहीं होंगे।
- चिकित्सा शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण के लिए प्रत्येक वर्ष में विनियमनोपकरण के लिए एकदर नहीं होगा।
- संविदा अन्तर्गत नियुक्ति किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय 01 माह की सूचना या एक माह का संविदा वेतन भुगतान करके समाप्त की जा सकती है।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अन्य सेवा शर्तें ऐसी होंगी जैसे करार या अनुभव पत्र में निर्दिष्ट की जाये। संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों के अनुभव पत्र में इस तथ्य का उल्लेख किया जायेगा कि वह कर्मचारी के अन्तर्गत एवं अपने कार्यकाल के आकार पर अपने विनियमनोपकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नहीं करेंगे और न ही उन्हें निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमत्य होगी।
- अर्थव्यर्थियों से सम्बन्धित कार्य के समय इस आशय का घोषणा पत्र भी प्राप्त किया जायेगा कि उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय में कोई अपराधिक याद प्रचलित नहीं है, यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल उक्त पत्राचार है तो उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।
- उपरोक्त शासन, कर्मिक अनुमान-2, उ०प्र० लखनऊ के कार्यलय डाक सं-1/2019/4/1/2002/का-2/19 टी.सी.-II दिनांक 18-02-2019 के अन्तर्गत ईओडब्ल्यूएसओ (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु कुल शैक्षिक आय ₹60 लाख से कम होनी तथा परिवार की आय और परिवारिकता का प्रमाण पत्र सम्बन्धित क्षेत्र के तहसीलदार से अनिवार्य अधिकारी द्वारा जारी/प्रमाणित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण नेट पर देखा जा सकता है।
- सुपर स्पेशियलिटी के पदों की शैक्षिक अहताएँ नवीन एनओपीसीओ गाइड लाइन के अनुसार अनुमत्य होगी।
- सुपर स्पेशियलिटी के पदों का समायोजन होने की दशा में पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है।
- जो अर्थव्यर्थी एनओपीसीओ/एनओएसओ के अतिरिक्त कोई अन्य योग्यता रखता/रखती है, तो उसे वरीयता दी जायेगी।

सं-352/तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्न लिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञापित को वेवसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करे।
- समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उ०प्र०।
- नोडल अधिकारी वेब साइट, मेडिकल कालेज, कानपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञापित को वेवसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करे।

प्रधानाचार्य
मेडिकल कालेज, कानपुर

प्रधानाचार्य
मेडिकल कालेज, कानपुर